समाहरणालय, दरभंगा।

(आपूर्ति शाखा)

दिनांक–05.03.2019 को डॉ0 त्यागराजन एस0एम0, भा0प्र0से0 जिला पदाधिकारी, दरभंगा की अध्यक्षता में आयोजित धान अधिप्राप्ति (खरीफ विपणन मौसम 2018–19) संबंधी जिला अधिप्राप्ति टास्क फोर्स के बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :– पंजी के अनुसार।

1. जिला सहकारिता पदाधिकारी, दरभंगा के पत्रांक–583 दिनांक–05.03.2019 द्वारा खरीफ वर्ष 2018–19 में पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा धान/चावल अधिप्राप्ति का प्रतिवेदन उपलब्ध कराते हुए कहा गया कि जिला में कुल निबंधित किसानों की संख्या–4272, कुल पूर्ण किसानों की संख्या–3722 है। कुल चयनित पैक्स की संख्या 188 एवं व्यापारमंडल की संख्या–05 कुल–193 है। अधिप्राप्ति में संलग्न पैक्स/व्यापार मंडल की संख्या–119 है। कुल 1639 किसानों से अबतक 6457.40 में0 टन धान की अधिप्राप्ति की गयी है। कुल–163 एडवाईस जेनरेटर किया गया है। 1332 किसानों को मो0 917.12 लाख भुगतान किया गया है। अधिप्राप्ति की गयी धान के समतुल्य 67 प्रतिशत सी0एम0आर0 4326.46 तथा चावल मिल से प्राप्त सी0एम0आर0 की मात्रा 1539 है। राज्य खाद्य निगम को 1485.00 मे0 टन चावल प्राप्त कराया गया है। अवशेष मात्रा 2841.46 तथा राज्य खाद्य निगम को प्राप्त कराये गये सी0एम0आर0 की मात्रा का मूल्य 415.67 है। राज्य खाद्य निगम द्वारा समितियों को भुगतान की गयी राशि 279.63 एवं राज्य खाद्य निगम के स्तर से समितियों को 196.50 लाख रूपये शेष है।
2. खरीफ विपणन मौसम 2018–19 धान अधिप्रापित हेतु निर्धारित लक्ष्य 75000.00 एम0टी0 के विरूद्ध दिनांक–05.03.2019 तक 6457.40 एम0टी0 प्राप्ति हुआ है। यह वास्तव में 8.60 प्रतिशत है। निदेश दिया गया कि धान अधिप्राप्ति हेतु निर्धारित लक्ष्य हर हाल में ससमय प्राप्त किया जाय।
3. पैक्स/व्यापारमंडलों से अधिप्राप्ति किये गये धान का निर्धारित मूल्य किसानों को ससमय भुगतान करने का निदेश जिला सहकारिता पदाधिकारी एवं जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य निगम, दरभंगा को दिया गया।
4. राईस मिल को पैक्स से टैंगिग होगा। पैक्स से संबंधित राईस मिल से ही कुटाई कार्य सम्पन्न कराने का निदेश दिया गया।
5. जिला सहकारिता पदाधिकारी, दरभंगा के ज्ञापांक–551 दिनांक–25.02.2019 के द्वारा मेसर्स ज्वाला राईस मिल, डरहार, बहादुरपुर के साथ तीन पैक्स मेसर्स श्रेया राईस मिल, कुशोथर, बहादुरपुर के साथ 5 पैक्स, नन्द गोपाल इन्डस्ट्रीज के साथ 13 पैक्स, श्री साई एग्रो राईस मिल के साथ 3 पैक्स एवं सीताराम राईस मिल, ग्राम+पो0–बैगनी, बेनीपुर के साथ 2 पैक्स टैग करने का प्रस्ताव हुआ जिसे सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
6. गेहूँ अधिप्राप्ति हेतु विभाग द्वारा विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निदेश प्राप्त हुआ है। उक्त हेतु संपूर्ण तैयारी सुनिश्चित करने का निदेश जिला सहकारिता पदाधिकारी, दरभंगा एवं जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य निगम, दरभंगा को दिया गया।
7. गेहूँ अधिप्राप्ति हेतु समुचित संख्या में समय पूर्व गोदाम चिन्हित कर प्रतिवेदित करने का निदेश दिया गया।
8. जिला पदाधिकारी के द्वारा जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य निगम, दरभंगा को निदेश दिया गया कि CMR गोदाम भंडारण के दृष्टिकोण से प्रत्येक सी0एम0आर0 गोदाम के क्रय केन्द्र प्रभारी स्वतंत्र रूप से गोदामवार भंडार पंजी/निर्गत पंजी/आगत पंजी एवं अन्य अभिलेख वगैरह का संधारण अलग–अलग करेंगे एवं तदनुसार 4G डाटा ऑपरेटर द्वारा गोदामवार Online प्रविष्टि किया जायगा एवं समेकित भंडारण का संधारण CMR संग्रहण केन्द्रवार कराया जाय।
9. जिला पदाधिकारी द्वारा जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य निगम, दरभंगा/जिला सहकारिता पदाधिकारी, दरभंगा को निदेश दिया गया कि खरीफ विपणन मौसम 2018–19 में विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति योजना अन्तर्गत योग्य एवं स्वच्छ मिलरों (गैर प्रमादी) का ऑनलाईन पंजीकरण/नवीकरण कराया जाय।

10. जिला पदाधिकारी द्वारा जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य निगम, दरभंगा/जिला सहकारिता पदाधिकारी, दरभंगा को निदेश दिया गया कि अपने अधीन अधिप्राप्ति कार्य से संबंधित सभी कर्मियों को विभागीय निदेश के आलोक में गहन प्रशिक्षण देना सुनिश्चित करेंगे ताकि ससमय नियमानुसार धान अधिप्राप्ति के पश्चात् गेहूँ अधिप्राप्ति कार्य सम्पन्न कराया जा सके।

11. ज़िला पदाधिकारी द्वारा जिला सहकारिता पदाधिकारी, दरभंगा को निदेश दिया गया कि खरीफ विपणन मौसम 2018–19 में विकेन्द्रीकृत धान अधिप्राप्ति कार्यक्रम के संबंध में व्यापक प्रचार–प्रसार कराया जाय ताकि अधिकाधिक संख्या में किसान लाभान्वित हो सकें।

12. जिला पदाधिकारी द्वारा जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य निगम, दरभंगा, को निदेश गया कि चयनित पैक्सों/व्यापारमंडलों पर धान अधिप्राप्ति हेतु गन्नी बैग की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगें।

जिला पदाधिकारी के द्वारा जिला सहकारिता पदाधिकारी, दरभंगा/जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य निगम, दरभंगा/जिला कृषि पदाधिकारी, दरभंगा/जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, दरभंगा को निर्देश दिया गया कि उक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कर अनुपालन प्रतिवेदन के साथ अगली बैठक में भाग लेना सुनिश्चित करेंगे।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

जिलाधिकारी,
दरभंगा।

ज्ञापांक 372 /जि0आ0, लहेरियासराय, दिनांक – 08/3/19

प्रतिलिपि :– सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी/प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, दरभंगा जिला/अनुमंडल पदाधिकारी, सदर दरभंगा, बेनीपुर एवं बिरौल/सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी/सभी प्रखंडों के वरीय प्रभारी पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– शाखा प्रबंधक, बिहार स्टेट कॉपरेटिव बैंक, दरभंगा/श्रम अधीक्षक, दरभंगा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला अग्निशामक पदाधिकारी, दरभंगा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य निगम, दरभंगा/जिला सहकारिता पदाधिकारी, दरभंगा/जिला कृषि पदाधिकारी, दरभंगा/जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, दरभंगा/क्षेत्र प्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, दरभंगा/विशेष कार्य पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, दरभंगा/जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– श्री अनिल कुमार, वरीय उप समाहर्त्ता, दरभंगा एवं अपर समाहर्त्ता, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– उप निदेशक खाद्य, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– महाप्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य निगम, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रमण्डलीय आयुक्त, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

जिलाधिकारी,
दरभंगा।